न्यायालयः द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश बिजावर, जिला छतरपुर, म0प्र0
(समक्ष :: श्रीमती मीनल श्रीवास्तव)

Registration No S.T./57/2022
Filing No S.T./1099/2022
CNR No. MP -1605-001459-2022
Filing Date 18/10/2022

(निर्णय की तिथि – 03.03.2025)

(प्रकरण क्रमांक – S.T./57/2022)
(प्र.सू.रि. 133/22, अंतर्गत धारा 498–ए, 304–बी भादंसं. एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम आरक्षी केंद्र बकस्वाहा, जिला छतरपुर म.प्र.)

अभियोगी	मध्यप्रदेश राज्य, द्वारा आरक्षी केंद्र बकस्वाहा जिला छतरपुर (मध्यप्रदेश)
प्रतिनिधित्व	श्री बी.डी. शुक्ला अपर लोक अभियोजक
–: विरूद्ध :–	
आरोपी	प्रेमनारायण उर्फ सोनू रजक पिता गुड्डा रजक आयु करीब 24 वर्ष निवासी ग्राम वीरमपुरा थाना बकस्वाहा जिला छतरपुर म.प्र.
प्रतिनिधित्व	श्री एन.पी. रिछारिया एवं श्री रामजी विश्वकर्मा अधिवक्ता।

प्रारूप–ड

अपराध की तारीख	13.06.2022
प्र.सू.रि. की तारीख	29.06.2022
अभियोग पत्र की तारीख	10.09.2022
आरोपों के विरचना की तारीख	10.11.2022
साक्ष्य प्रारंभ किये जाने की तारीख	24.01.2024
निर्णय सुरक्षित किए जाने की तारीख	28.02.2025
निर्णय की तारीख	03.03.2025
दंडादेश, यदि कोई हो, की तारीख	निरंक

3/3/25

Contd. ---- 2

आरोपी का विवरण

आरोपी की श्रेणी	आरोपी का नाम	गिरफ्तारी की तारीख	जमानत पर रिहा किये जाने की तारीख	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दोषसिद्धि	अधि–रोपित दंडादेश	धारा 428 दं.प्र.सं. के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि
1	प्रेमनारायण उर्फ सोनू रजक	17.08. 2022	03.10. 2022	धारा 498–ए, 304–बी भादंसं. एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधि.	दोषमुक्ति	—	कुल 47 दिवस

प्रारूप–च

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन साक्षियों की सूची

क्रं. अभियोजन

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
अ.सा. 1	ममता रजक	कथन साक्षी
अ.सा. 2	बाबूलाल रजक	कथन साक्षी
अ.सा. 3	राहुल उर्फ राकेश	कथन साक्षी
अ.सा. 4	डॉ. ललित उपाध्याय	चिकित्सक साक्षी
अ.सा. 5	झाम सिंह	तहसीलदार साक्षी
अ.सा. 6	राजाराम साहू	विवेचक साक्षी
अ.सा. 7	उमेश सैनी	फोटोग्राफर
अ.सा. 8	धनसिंह नलवाया	प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्धकर्ता

Contd. -----3

3/3/25
(श्रीमती मीनल श्रीवास्तव)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश
जिला छतरपुर (म.प्र.)

अ.सा. 9	उत्तमलाल अहिरवार	पुलिस साक्षी
अ.सा 10	मिहीलाल अहिरवार	पुलिस साक्षी

ख. प्रतिरक्षा साक्षी, यदि कोई होः–

श्रेणी	**नाम**	**साक्ष्य की प्रकृति** (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
	निरंक	

ग. न्यायालयीन साक्षी, यदि कोई होः–

श्रेणी	**नाम**	**साक्ष्य की प्रकृति** (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
न्या.सा.1	निरंक	निरंक

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची

क. अभियोजन

सं.क.	**प्रदर्श संख्या**	**विवरण**
1	प्रदर्श पी. 1/अ.सा. 1	सफीना फॉर्म
2	प्रदर्श पी. 2/अ.सा. 1	नक्शा पंचायतनामा
3	प्रदर्श पी. 3/अ.सा. 3	जप्ती पत्रक
4	प्रदर्श पी. 4/अ.सा. 3	शादी का कार्ड
5	प्रदर्श पी. 5/अ.सा. 3	पुलिस कथन
6	प्रदर्श पी. 6/अ.सा. 4	शव परीक्षण रिपोर्ट
7	प्रदर्श पी. 7/अ.सा. 6	देहाती नालसी
8	प्रदर्श पी. 8/अ.सा. 6	गिरफ्तारी पत्रक
9	प्रदर्श पी. 9/अ.सा. 6	एफएसएल ड्राफ्ट
10	प्रदर्श पी. 10/अ.सा. 6	एफएसएल रिपोर्ट

3/3/25
(श्रीमती मीनल श्रीवास्तव)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश
... जिला छतरपुर (म.प्र.)

Contd. -----4

11	प्रदर्श पी. 11/अ.सा. 7	धारा 65 बी साक्ष्य अधि. का प्रमाणपत्र
12	प्रदर्श पी. 12/अ.सा. 8	प्रथम सूचना रिपोर्ट
13	प्रदर्श पी. 13/अ.सा. 9	मर्ग इंटीमेशन
14	प्रदर्श पी. 14/अ.सा. 9	अकाल मृत्यु का पंजीकरण
15	प्रदर्श पी. 15/अ.सा. 9	शव परीक्षण हेतु आवेदन
16	प्रदर्श पी. 16/अ.सा. 9	नक्शामौका
17	प्रदर्श पी. 16–ए/अ.सा. 9	जप्ती पत्रक
18	प्रदर्श पी. 17/अ.सा. 10	जप्ती पत्रक

ख. प्रतिरक्षाः–

सं.क.	**प्रदर्श संख्या**	**विवरण**
1	प्रदर्श डी. 1/अ.सा. 1	पुलिस कथन
2	प्रदर्श डी. 2/अ.सा. 2	पुलिस कथन

ग. न्यायालयीन प्रदर्शः–

सं.क.	**प्रदर्श संख्या**	**विवरण**
1	निरंक	

घ. आवश्यक वस्तुएंः–

सं.क.	**भौतिक सामग्री संख्या**	**विवरण**
1	आर्टिकल ए–1 लगायत ए–5/अ.सा. 7	मृतिका की फोटो

<u>–: निर्णय :–</u>
<u>(आज दिनांक 03.03.2025 को घोषित)</u>

1. आरोपी प्रेमनारायण उर्फ सोनू रजक पर दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4, भा.दं.सं. की धारा 498–ए एवं धारा 304–बी के अधीन दंडनीय अपराध के क्रमशः आरोप हैं कि उसने दिनांक 17.06.2021 से दिनांक 13.06.2022 को दोपहर 02:30 बजे के लगभग एवं उसके पूर्व मृतिका का ससुराल वाला घर ग्राम वीरमपुरा (अंतर्गत आरक्षी केंद्र बकस्वाहा) पर मृतिका के पति होते हुए उससे दहेज में सोने की चैन की मांग की, उक्त हेतु उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित

3/3/25
(श्रीमती मीनल श्रीवास्तव)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश
जिला छतरपुर (म.प्र.)

Contd. -----5

कर क्रूरता कारित की तथा उक्त क्रूरता से प्रताड़ित होकर मृतिका द्वारा आत्महत्या करने के कारण विवाह से सात वर्ष के भीतर उसकी मृत्यु हो गई इस प्रकार उसकी दहेज मृत्यु कारित की।

2. प्रकरण में उल्लेखनीय तथ्य यह है कि प्रकरण की घटना एवं विचारण दिनांक 01.07.2024 के पूर्व प्रारंभ हो जाने के कारण भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 531(2क) के आलोक में आरोपी के विरूद्ध दं.प्र.सं. के सुसंगत प्रावधानों के अनुसार निर्णय पारित किया जा रहा है।

3. अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 13.06.2022 को सूचनाकर्ता गुड्डा रजक ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बकस्वाहा में थाना बकस्वाहा के उपनिरीक्षक उत्तमलाल अहिरवार को इस आशय की सूचना दी कि दिनांक 13.06.2022 को जब वह पी.डब्ल्यू.डी. कार्यालय बकस्वाहा में था तब दोपहर करीब 02:30 बजे उसके लड़के सोनू रजक ने मोबाईल पर बताया कि बहु पूजा रजक की तबीयत खराब हो गयी है, चक्कर आया और मुंह व नाक से फसूकर निकल रहा है और वह बेहोश हो गयी है। जानकारी मिलने पर वह बकस्वाहा से जीप लेकर ग्राम वीरमपुरा पहुचा और उसकी पुत्रवधु पूजा को उठाकर जीप में रखकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बकस्वाहा ईलाज हेतु लेकर आया जहां डॉक्टर ने पूजा को मृत घोषित कर दिया। उसके बाद पूजा रजक को कहीं नहीं ले गये उसे शक है कि उसकी बहू की किसी अज्ञात कीड़े के काटने से या अटैक से या अन्य किसी कारण से मृत्यु हुयी है।

4. सूचनाकर्ता गुड्डा रजक द्वारा दी गई उक्त सूचना पर देहाती मर्ग इंटीमेशन 0/2022 अंतर्गत धारा 174 दंप्रसं. कायम कर थाना बकस्वाहा में असल मर्ग क्रमांक 24/22 अंतर्गत धारा 174 दंप्रसं. कायम किया जाकर प्रकरण जांच में लिया गया। जांच के दौरान शव पंचनामा की कार्यवाही की जाकर शव परीक्षण कराया गया, मृतिका के मायके पक्ष के एवं ससुराल पक्ष के लोगों के कथन लेखबद्ध किये गये, मृतिका का शव परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त किया गया, मर्ग जांच में आयी साक्ष्य के आधार पर पाया गया कि मृतिका पूजा रजक की शादी दिनांक 17.06.2021 को हिंदु रीति रिवाज अनुसार हुई थी। मृतिका का पति सोनू उर्फ प्रेमनारायण रजक उसकी पत्नी पूजा से कहता था कि उसके पिता ने शादी में कुछ नहीं दिया है दूसरा विवाह करेगे तो बहुत दहेज मिलेगा। मायके से सोने की चैन लाकर दो तभी वह उसके घर आयेगा। पूजा के मायके वाले सोनू उर्फ प्रेमनारायण की इस मांग की पूर्ति नहीं कर पाये और इसी कारण सोनू उर्फ प्रेमनारायण द्वारा पूजा को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया जिसके कारण दिनांक 13.06.2022 को पूजा ने कोई

3/3/25

Contd. -----6

(श्रीमती मीनल श्रीवास्तव)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश
जिला छतरपुर (म.प्र.)

अज्ञात जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली।

5. मर्ग जांच के दौरान आरोपी सोनू उर्फ प्रेमनारायण रजक के विरूद्ध प्रथम दृष्टया अपराध सिद्ध पाये जाने से अपराध क. 133/2022 अंतर्गत धारा 304–बी, 498–ए भा.दं.सं. एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान मृतिका के पिता बाबूलाल रजक, मृतिका की मां श्रीमती ममता रजक एवं मृतिका के भाई राकेश उर्फ राहुल रजक के कथन लेखबद्ध किये गये, आरोपी को दिनांक 17.08.2022 को गिरफ्तार किया जाकर गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया गया, प्रकरण में जप्तशुदा प्रदर्श परीक्षण हेतु एफएसएल सागर भेजे गये, मृतिका की शादी से संबंधित कार्ड एवं शव के फोटोग्राफ प्राप्त किये गये एवं प्रकरण की शेष विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रृंखला न्यायालय बकस्वाहा के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जहां से प्रकरण माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय को उपार्पित किया गया एवं माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के आदेश से प्रकरण अंतरण पर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

6. इस न्यायालय द्वारा निर्णय की कंडिका 1 में वर्णित उक्त आरोप विरचित कर आरोपी को पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर उसने अपराध करना अस्वीकार कर विचारण चाहा। दंप्रसं. की धारा 313/बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के अधीन हुये परीक्षण में आरोपी ने निर्दोष होकर रंजिश के कारण झूठा फसाया जाना बताया है। आरोपी को बचाव में प्रवेश कराये जाने पर उसके द्वारा बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है।

7. प्रकरण में निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उद्भूत होते हैं :–

(1)	क्या आरोपी ने दिनांक 17.06.2021 से दिनांक 13.06.2022 को दोपहर 02:30 बजे के लगभग एवं उसके पूर्व मृतिका का ससुराल वाला घर ग्राम वीरमपुरा (अंतर्गत आरक्षी केंद्र बकस्वाहा) पर मृतिका के पति होते हुए उससे दहेज में सोने की चैन की मांग की ?
(2)	क्या आरोपी ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर मृतिका के पति होते हुये उससे दहेज में सोने की चैन की मांग हेतु उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर क्रूरता कारित की ?
(3)	क्या आरोपी ने उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर मृतिका के पति होते हुये उससे दहेज में सोने की चैन की मांग हेतु उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर क्रूरता कारित की जिससे प्रताड़ित होकर मृतिका द्वारा आत्महत्या करने के कारण

3/3/25

(श्रीमती मीनल श्रीवास्तव)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश
बिजावर, जिला छतरपुर (म.प्र.)

Contd. -----7

	विवाह से सात वर्ष के भीतर उसकी मृत्यु हो गई इस प्रकार उसकी दहेज मृत्यु कारित की ?

–: सकारण निष्कर्ष :–

विचारणीय प्रश्न कमांक 1 लगायत 3:–

8. उक्त तीनों विचारणीय प्रश्न एक ही घटनाक्रम से संबंधित होने के कारण साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने एवं क्रमबंधन की सत्तता बनाये रखने के लिये उक्त तीनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

9. उक्त विचारणीय प्रश्नों के निराकरण के पूर्व भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 304 बी के संबंध में सर्वप्रथम विधिक स्थिति पर एक दृष्टिपात किया जाना आवश्यक है। **AIR 2013 SUPREME COURT 1039 "Kashmir Kaur v. State of Punjab"** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने दहेज मृत्यु के संदर्भ में निम्न सिद्वांत प्रतिपादित किये है :

> (a) To attract the provisions of Section 304-B, IPC the main ingredient of the offence to be established is that soon before the death of the deceased she was subjected to cruelty and harassment in connection with the demand of dowry.
>
> (b) The death of the deceased woman was caused by any burn or bodily injury or some other circumstance which was not normal.
>
> (c) Such death occurs within seven years from the date of her marriage.
>
> (d) That the victim was subjected to cruelty or harassment by her husband or any relative of her husband.
>
> (e) Such cruelty or harassment should be for or in connection with demand of dowry.
>
> (f) It should be established that such cruelty

3/3/25

Contd. -----8

(श्रीमती मीनल श्रीवास्तव)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश
...., जिला छतरपुर (म.प्र.)

and harassment was made soon before her death.

(g) The expression (soon before) is a relative term and it would de-pend upon circumstances of each case and no straightjacket formula can be laid down as to what would constitute a period of soon before the occurrence.

(h) It would be hazardous to indicate any fixed period and that brings in the importance of a proximity test both for the proof of an offence of dowry death as well as for raising a presumption under Section 113-B of the Evidence Act.

(i) Therefore, the expression "soon before" would normally imply that the interval should not be much between the concerned cruelty or harassment and the death in question. There must be existence of a proximate or life link between the effect of cruelty based on dowry demand and the concerned death. In other words, it should not be remote in point of time and thereby make it a stale one.

(j) However, the expression "soon before" should not be given a narrow meaning which would otherwise defeat the very purpose of the provisions of the Act and should not lead to absurd results.

(k) Section 304-B is an exception to the cardinal principles of criminal jurisprudence that a suspect in the Indian Law is entitled to the protection of Article 20 of the Constitution, as well as, a presumption of

3/3/25

(श्रीमती मीनल श्रीवास्तव)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश
बिजावर, जिला छतरपुर (म.प्र.)

Contd. -----9

innocence in his favour. The concept of deeming fiction is hardly applicable to criminal jurisprudence but in contradistinction to this aspect of criminal law, the legislature applied the concept of deeming fiction to the provisions of Section 304-B.

(l) Such deeming fiction resulting in a presumption is, however, a rebuttable presumption and the husband and his relatives, can, by leading their defence prove that the ingredients of Section 304-B were not satisfied.

(m) The specific significance to be attached is to the time of the alleged cruelty and harassment to which the victim was subjected to, the time of her death and whether the alleged demand of dowry was in connection with the marriage. Once the said ingredients were satisfied it will be called dowry death and by deemed fiction of law the husband or the relatives will be deemed to have committed that offence.

10. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **सतवीर सिंह विरूद्ध पंजाब राज्य ए0आई0आर0 2001 सुप्रीम कोर्ट 2828** के मामले में प्रतिपादित किया गया है कि धारा 304—ख भारतीय दंण्ड संहिता में परिभाषित दहेज मृत्यु की परिधि में विवाह के 7 वर्ष के अन्दर कारित आत्महत्या भी आती है। धारा 113—क साक्ष्य अधिनियम किसी विवाहित स्त्री द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण के बारे में उपधारणा उपबंधित करती है। धारा 113—ख साक्ष्य अधिनियम दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा उपबंधित करती है। इन दोनों उपधारणा प्रावधानों का दहेज मृत्यु के संबंध में निर्वचन करते हुये माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **सतवीर सिंह विरूद्ध पंजाब राज्य 2001(8) एस0सी0सी0 633** के अन्तर्गत न्यायमत प्रतिपादित किया गया है कि धारा 306 भा0दं0सं0 सहपठित धारा 113—क साक्ष्य अधिनियम की परिधि में धारा 304—ख भा0दं0सं0 में उपबंधित दहेज मृत्यु भी आती है परन्तु दहेज मृत्यु को स्थापित करने हेतु यह दर्शाना आवश्यक है कि

3/3/25

Contd. -----10

(श्रीमती मीनल श्रीवास्तव)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश
जिला छतरपुर (म.प्र.)

विवाह के 7 वर्ष के अन्दर असामान्य परिस्थितियों में मृत्यु हुई, मृतिका को उसकी मृत्यु के कुछ समय पूर्व की गई क्रूरता अथवा परेशानी जो कि दहेज की मांग के संबंध में थी, का परिणाम थी। स्पष्ट है कि क्रूरता एवं आत्महत्या के मध्य कारण व परिणाम संबंध स्थापित करने हेतु मामले की सभी अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाना अपेक्षित है।

11. धारा 304बी भा0दं0सं0 के अंतर्गत दहेज मृत्यु के आवश्यक तत्व प्रमाणित करने के लिऐ अभियोजन का प्रमाण स्तर क्या होना चाहिये इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्याय दृष्टांत **Ramakant Mishra alias Lalu etc v. State of U. P 2015 AIR SCW 1674** का सुसंगत पैरा निम्नानुसार अवलोकनीय है :–

12. Very recently, this Court had the opportunity of interpreting Section 304B of the IPC in **Criminal Appeal No.1592 of 2011, titled Sher Singh v. State of Haryana, [reported in (2015) 1 SCR 29] : (2015 AIR SCW 716)** which was authored by one of us (Vikramajit Sen, J.). Succinctly stated, it had been held therein that the use of word **'shown' instead of 'proved' in Section 304B indicates that the onus cast on the prosecution would stand satisfied on the anvil of a mere preponderance of probability.** In other words, 'shown' will have to be read up to mean 'proved' but only to the extent of preponderance of probability. **Thereafter, the word 'deemed' used in that Section is to be read down to require an accused to prove his innocence, but beyond reasonable doubt.** The 'deemed' culpability of the accused leaving no room for the accused to prove innocence was, accordingly, read down to a strong 'presumption' of his culpability. However, the accused is required to dislodge this presumption by proving his innocence beyond reasonable doubt as distinct from preponderance of possibility.

13. In **Sher Singh v. State of Haryana, (2015 AIR SCW 716)**, Hon'ble Supreme court held that: "We are aware that the word 'soon' finds place in Section 304B; but we would prefer to interpret its use not in terms of

3/3/25
(श्रीमती मीनल श्रीवास्तव)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश
जिला छतरपुर (म.प्र.)

Contd. -----11

days or months or years, but as necessarily indicating that the **demand for dowry should not be stale or an aberration of the past, but should be the continuing cause for the death under Section 304B or the suicide under Section 306 of the IPC.** Once the presence of these concomitants are established or shown or proved by the prosecution, even by preponderance of possibility, the initial presumption of innocence is replaced by an assumption of guilt of the accused, thereupon transferring the heavy burden of proof upon him and requiring him to produce evidence dislodging his guilt, beyond reasonable doubt."

14. उपरोक्त न्यायदृष्टान्तों के आलोक में दहेज मृत्यु के अपराध के संदर्भ में प्रतिपादित उपरोक्त वर्णित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए अब इस विचाराधीन प्रकरण में प्रस्तुत की गई साक्ष्य का मूल्यांकन कर सर्वप्रथम यह निर्धारित किया जाना है कि **क्या मृतिका पूजा की मृत्यु उसके विवाह के 7 वर्ष के अंदर अप्राकृतिक परिस्थितियों में हुई ?**

15. इस संबंध में मृतिका पूजा की मां ममता रजक (अ.सा. 1) ने अपने मुख्य परीक्षण में व्यक्त किया है कि उसकी पुत्री/मृतिका पूजा का विवाह उसके न्यायालयीन कथन दिनांक से लगभग 2 वर्ष पूर्व आरोपी प्रेमनारायण के साथ हिंदू रीतिरिवाज से हुआ था। घटना की जानकारी आरोपी प्रेमनारायण की बहन पूजा ने उसके पति के मोबाईल पर फोन से दी थी। फोन उसके लड़के रमेश ने उठाया था और रमेश तथा उसने आरोपी की बहन पूजा से बात की थी। आरोपी की बहन पूजा ने बताया था कि उसकी लड़की/मृतिका पूजा को उल्टीदस्त हो रहे है, वह बीमार है और उसे अस्पताल ले जा रहे हैं। फिर वह अपने पति के साथ बकस्वाहा अस्पताल में अपनी लड़की/मृतिका पूजा को देखने गयी थी। उसकी लड़की/मृतिका पूजा के गले में नाखून के निशान थे, कमर में करंट लगने के निशान थे, नाक व मुंह से फसूका निकल रहा था, उसने लैट्रिंग की हुई थी और वह मृत हो चुकी थी। इसी आशय के कथन मृतिका के पिता बाबूलाल रजक (अ.सा. 2) तथा मृतिका के भाई राहुल उर्फ राकेश (अ.सा. 3) ने भी अपने मुख्य परीक्षण में किये हैं।

16. मृतिका की मां ममता रजक (अ.सा. 2) ने सफीना फॉर्म प्र.

3/3/25

(श्रीमती मीनल श्रीवास्तव)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश
..., जिला छतरपुर (म.प्र.)

Contd. -----12

पी. 1 तथा नक्शा पंचायतनामा प्र.पी. 2 पर अपने हस्ताक्षर को प्रमाणित करते हुये व्यक्त किया है कि उसकी पुत्री/मृतिका पूजा की लाश का निरीक्षण पुलिस व तहसीलदार ने उसके समक्ष कर नक्शापंचायतनामा की कार्यवाही की थी परंतु मृतिका के पिता बाबूलाल रजक (अ.सा. 3) ने सफीना फॉर्म प्र.पी. 1 तथा नक्शा पंचायतनामा प्र.पी. 2 पर स्वयं की अंगूठा निशानी होने से इंकार कर उक्त कार्यवाहियां उनके समक्ष होने से इंकार किया है। राहुल उर्फ राकेश (अ.सा. 3) ने पुलिस के द्वारा उसकी बहन/मृतिका पूजा रजक एवं आरोपी की शादी का कार्ड प्र.पी. 4 जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी. 3 तैयार किया जाना भी बताया है।

17. इस संबंध में उत्तमलाल अहिरवार (अ.सा. 9) ने दिनांक 13.06.2022 को थाना बकस्वाहा में उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुये उक्त दिनांक को फरियादी गुड्डा के द्वारा उसकी बहू मृतिका पूजा रजक उम्र 22 की मृत्यु किसी अज्ञात कीड़े के काटने या अटैक आने से होने की सूचना दी जाने पर उसके द्वारा मर्ग इंटीमेशन 0/22 प्र.पी. 13 लेख की जाना और उसके आधार पर असल मर्ग क्रमांक 24/22 प्र.पी. 14 लेख की जाना बताया है। इस साक्षी ने मृतिका पूजा रजक की लाश की पंचनामा की कार्यवाही हेतु सफीना फॉर्म प्र.पी. 1 जारी कर पंच साक्षीगण को आहूत किया जाना एवं नक्शा पंचायतनामा प्र.पी. 2 तैयार किया जाना भी बताया है। आगे इस साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि उसने शव परीक्षण आवेदन प्र.पी. 15 तैयार कर मृतिका पूजा रजक का शव परीक्षण हेतु भेजा था, दिनांक 14.06.202 को फरियादी गुड्डा रजक की निशादेही पर घटनास्थल का नक्शामौका प्र.पी. 16 तैयार किया था, उक्त दिनांक को ही साक्षीगण के समक्ष घटनास्थल से एक डिब्बी में उल्टीयुक्त मिट्टी, दूसरी डिब्बी में दूसरे स्थान की उल्टीयुक्त मिट्टी, एक अन्य मिट्टी में सादा मिट्टी एवं कांच की टूटी हुई चूड़ी का टुकड़ा जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी. 16–ए तैयार किया था।

18. उमेश सैनी (अ.सा. 7) ने व्यक्त किया है कि उसकी बकस्वाहा में फोटो स्टुडियो की दुकान है उसे थाना बकस्वाहा से मृतिका के फोटोग्राफ खीचने के लिये पुलिस का फोन आने पर वह थाना बकस्वाहा पहुचा था और फिर वहां से पुलिस आरक्षक के साथ फोटोग्राफ खीचने के लिये गया था उसने मृतिका के पांच फोटोग्राफ आर्टिकल ए–1 लगायत ए–5 अपने निकॉन कैमरे से लेकर इस संबंध में धारा 65–बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र प्र.पी. 11 दिया था। प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने व्यक्त किया है कि वह ग्राम वीरमपुरा में सोनू के घर पर उक्त फोटो खीचने के लिये गया था जब वह सोनू के घर गया था तब मृतिका का शव घर के अंदर रखा हुआ था।

3/3/25

(श्रीमती मीनल श्रीवास्तव)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश

Contd. -----13

19. झाम सिंह (अ.सा. 5) ने व्यक्त किया है कि वह दिनांक 13.05.2022 को तहसील बकस्वाहा में तहसीलदार के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना बकस्वाहा के मर्ग क्र. 0/22 की मृतिका पूजा के शव के पंचनामा की कार्यवाही हेतु वह स्वास्थ्य केंद्र बकस्वाहा गया था जहां सफीना फॉर्म प्र.पी. 1 के अनुसार उपस्थित पंचसाक्षीगण की उपस्थिति में उसने मृतिका पूजा की लाश का निरीक्षण कर अपने निर्देशन पर नक्शा पंचायतनामा प्र.पी. 2 लेखबद्ध कराया था। इस साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि उसे मृतिका की पीठ पर काला निशान दिख रहा था जो दो तीन दिन पुरानी चोट जैसा प्रतीत हो रहा था।

20. डॉ. ललित उपाध्याय (अ.सा. 4) ने दिनांक 13.06.2022 को सीएचसी बकस्वाहा में मेडिकल आफीसर के पद पर पदस्थ रहते हुये उक्त दिनांक को थाना बकस्वाहा के आरक्षक कमलेश पटेल के द्वारा लाये जाने पर मृतिका पूजा रजक का शव परीक्षण किया जाना बताया है। मृतिका पूजा रजक की शव परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी. 6 को प्रमाणित करते हुये इस साक्षी ने व्यक्त किया है कि बाह्य परीक्षण में मृतिका का सिर दायी ओर मुडा हुआ था, दोनों आंखो की पुतलिया फेली हुयी थी, नाक एवं मुह से फसूकर आ रहा था, दोनो आंखे खुली हुयी थी, शरीर पर किसी भी प्रकार पर कोई बाहरी चोट के निशान नही थे तथा दोनों हाथ की हथेलिया पीले रंग की हो गयी थी। आंतरिक परीक्षण में मृतिका के दोनों फेफडे एवं स्वासनली कंजेस्टेड थे, हृदय के दोनों चेम्बरों में रक्त भरा हुआ था, पर्दा, आंतो की झिल्ली, मुंह तथा ग्रासनली, ग्रसनी कंजेस्टेड थे, पेट में अधपचा भोजन मौजूद था, छोटी आंत में द्रव्य पदार्थ मौजूद था, यकृत प्लीहा, गुर्दा कंजेस्टेड थे, मृतिका को किसी तरह की अस्थि के संबंध की चोट नहीं थी तथा खोपडी कपाल, कशेरूका पर भी किसी बाहरी चोट के निशान नही थे।

21. आगे इस साक्षी ने व्यक्त किया है कि उसके मतानुसार मृतिका पूजा की मृत्यु का कारण कार्डियोरेस्प्रेरेट्री अरेस्ट था जो कि अज्ञात जहर के कारण आया था। जहर के संबंध में बायोकेमिकल परीक्षण एफएसएल द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है साथ में परिस्थितिजन्य साक्ष्य को भी विचार में लिया जा सकता है।

22. मिहीलाल अहिरवार (अ.सा. 10) ने दिनांक 22.06.2022 को थाना बकस्वाहा में प्रधान आरक्षक लेखक के पद पर पदस्थ होते हुये उक्त दिनांक को आरक्षक दिग्विजय सिंह के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर एक सीलबंद प्लास्टिक का डिब्बा जिसमें मृतिका पूजा की किडनी, लीवर, लंग्स, हॉर्ट, आंत, स्पिलिन होना लेख था, एक सीलबंद प्लास्टिक का डिब्बा जिसमें मृतिका की छोटी आंत, बड़ी आंत, स्टमक होना लेख

Mh 7/7/25

Contd. -----14

(श्रीमती मीनल श्रीवास्तव)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश
बिजावर, जिला छतरपुर (म.प्र.)

था, एक सीलबंद प्लास्टिक के डिब्बे में नमक का घोल एवं सी.एच.सी. बकस्वाहा की सीलनमूना जप्त कर जप्ती पत्रक प.प्री. 17 तैयार किया जाना बताया है। प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने जप्तशुदा डब्बे सीलबंद नहीं होने संबंधी बचावपक्ष के सुझावों से स्पष्ट इंकार किया है।

23. राजाराम साहू (अ.सा. 6) ने व्यक्त किया है कि वे दिनांक 16.06.2022 को एस.डी.ओ.पी. बड़ामलहरा के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को थाना बकस्वाहा के मर्ग क्. 24/22 की मर्ग डायरी जांच हेतु प्राप्त होने पर उन्होंने मर्ग जांच के दौरान साक्षीगण ममता रजक एवं बाबूलाल रजक के जांच कथन लेखबद्ध किये थे। तत्पश्चात दिनांक 29.06.2022 को प्रेमनारायण उर्फ सोनू के विरूद्ध धारा 304—बी, 498—ए भा.दं.स. एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का अपराध पाये जाने से देहाती नालिसी 0/22 प्र.पी. 7 लेखकर असल अपराध पंजीबद्ध करने हेतु थाना बकस्वाहा भेजी थी। उक्त देहाती नालिसी के आधार पर थाना बकस्वाहा में असल अप.क्र. 133/22 पंजीबद्ध किया गया था जिसकी पुष्टि निरीक्षक धनसिंह नलवाया (अ.सा. 8) ने अपने मुख्य परीक्षण में करते हुये देहाती नालिसी के आधार पर असल अपराध प्र.पी. 12 पंजीबद्ध किया जाना बताया है।

24. राजाराम साहू (अ.सा. 6) ने प्रकरण की विवेचना के दौरान दिनांक 03.09.2022 को साक्षीगण बाबूलाल रजक, ममता रजक एवं राकेश रजक के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये जाना, दिनांक 18.07.2022 को राकेश उर्फ राहुल से साक्षीगण के समक्ष एक शादी का कार्ड जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी. 3 तैयार किया जाना तथा दिनांक 17.08.2022 को आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी. 8 तैयार किया जाना बताया है। इस साक्षी ने प्रकरण में जप्तशुदा प्रदर्शों को जांच हेतु ड्राफ्ट प्र.पी. 9 तैयार कर पुलिस अधीक्षक कार्यालय छतरपुर के माध्यम से रासायनिक विज्ञान प्रयोगशाला सागर भेजा जाना बताते हुये यह भी व्यक्त किया है कि एफएसएल रिपोर्ट प्र.पी. 10 है जो कि प्रकरण में संलग्न है।

25. एफएसएल रिपोर्ट प्र.पी. 10 के परीक्षण परिणाम अनुसार **प्रदर्श ए तथा बी** (प्लास्टिक के डिब्बे, प्रत्येक में मिट्टी पायी गयी, जिस पर घटना स्थल की उल्टीयुक्त मिट्टी होना लेख है), **प्रदर्श डी तथा ई** (प्लास्टिक के डिब्बे, प्रत्येक में विसरल मटेरियल पाया गया, जिस पर मृतिका पूजा रजक का विसरा होना लेख है) में एल्युमीनियम फॉस्फाइड के **परीक्षण धनात्मक** पाये गये। **प्रदर्श सी** (प्लास्टिक के डिब्बे में मिट्टी पायी गयी जिस पर घटना स्थल की सादा मिट्टी होना लेख है) तथा **प्रदर्श एफ** (प्लास्टिक के डिब्बे में प्रिजर्वेटिव घोल नमूना) में रासायनिक

3/3/25

Contd. -----15

(श्रीमती मीनल श्रीवास्तव)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश
बिजावर, जिला छतरपुर (म.प्र.)

विष के **परीक्षण ऋणात्मक** पाये गये हैं अतः फॉरेंसिक साक्ष्य से भी मृतिका की मृत्यु जहर खाने से होने संबंधी चिकित्सीय विशेषज्ञ की साक्ष्य की पुष्टि होती है। मृतिका को किसी के द्वारा जहर खिलाया गया हो ऐसी अभियोजन कहानी नहीं हैं और न ही ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर है अतः अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से मृतिका पूजा की मृत्यु स्वयं जहर खाने से होना दर्शित होता है।

26. प्रकरण में जप्तशुदा मृतिका पूजा एवं आरोपी के शादी के कार्ड प्र.पी. 4 के अवलोकन से मृतिका की शादी दिनांक 17 जून 2021 को आरोपी प्रेमनारायण के साथ होना दर्शित है जिसका कोई खंडन आरोपी की ओर से नहीं किया गया है। चूंकि अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजो के अनुसार पूजा की मृत्यु दिनांक 13.06.2022 को हुई है अतः प्र.पी. 4 के शादी के कार्ड को देखते हुये उसकी मृत्यु उसके विवाह के 7 वर्ष के अंदर होना भी दर्शित होता है।

27. मृतिका पूजा का आरोपी से रिश्ता एवं उसकी मृत्यु आरोपी से उसके विवाह के 7 वर्ष के अंदर होने के तथ्य को आरोपी की ओर से भी विवादित नहीं किया गया है। मर्ग इंटीमेशन प्र.पी. 13, अप्राकृतिक मृत्यु का पंजीकरण प्र.पी. 14, सफीना फॉर्म प्र.पी. 1, नक्शा पंचायतनामा प्र.पी. 2, शव परीक्षण हेतु आवेदन पत्र प्र.पी. 15 तथा शव परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी. 20 के अवलोकन से मृत्यु के समय मृतिका पूजा रजक की आयु लगभग 22 वर्ष होना दर्शित है। एक 22 वर्षीय नवयुवती की मृत्यु जहर खाने से होने की स्थिति को स्वाभाविक मृत्यु नहीं माना जा सकता है फलस्वरूप **उक्त विवेचित परिस्थितियों में यह प्रमाणित पाया जाता है कि मृतिका पूजा रजक की मृत्यु उसके विवाह के 7 वर्ष के अंदर अप्राकृतिक परिस्थितियों में हुई थी।**

28. अब देखा यह जाना है कि क्या मृत्यु के पूर्व आरोपी के द्वारा मृतिका पूजा से दहेज में सोने की चैन की मांग कर उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर क्रूरता कारित की गई ?

29. **भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113—ख यह उपबंधित करती है कि—** जब प्रश्न यह है कि किसी व्यक्ति ने किसी स्त्री की दहेज मृत्यु की है और यह दर्शित किया जाता है कि मृत्यु के कुछ पूर्व ऐसे व्यक्ति ने दहेज की किसी मांग के लिये या उसके संबंध में उस स्त्री के साथ क्रूरता की थी या उसको तंग किया था, तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने दहेज मृत्यु कारित की थी।

30. **क्रूरता को भारतीय दंड संहिता की धारा 498—ए में परिभाषित किया गया है।**

3/3/25
(श्रीमती मीनल श्रीवास्तव)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश
जिला छतरपुर (म.प्र.)

Contd. -----16

धारा 498–ए भा.दं.सं. के उपबंध अनुसार ''क्रूरता'' से निम्नलिखित अभिप्रेत है :––

(क) जानबूझकर किया गया कोई आचरण जो ऐसी प्रकृति का है जिससे उस स्त्री को आत्महत्या करने के लिये प्रेरित करने की या उस स्त्री के जीवन, अंग या स्वास्थ्य को (जो चाहे मानसिक हो या शारीरिक) गंभीर क्षति या खतरा कारित करने की संभावना है, या

(ख) किसी स्त्री को इस दृष्टि से तंग करना कि उसको या उसके किसी नातेदार को किसी सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की कोई मांग पूरी करने के लिये प्रपीड़ित किया जाये या किसी स्त्री को इस कारण तंग करना कि उसका कोई नातेदार ऐसी मांग पूरी करने में असफल रहा है।

31. उक्त विधिक प्रावधानों के आलोक में अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के परिशीलन से दर्शित है कि मृतिका के परिजन मां ममता रजक (अ.सा. 1) ने अपनी परिसाक्ष्य में व्यक्त किया है कि जब उसने अस्पताल में पूजा को देखा था तो उसके गले में नाखून के निशान थे, कमर में करंट लगने के निशान थे, नाक व मुंह से फसूका निकल रहा था, उसने लैट्रिंग की हुई थी और वह मृत हो चुकी थी। उसकी पुत्री पूजा की मौत आरोपी द्वारा करंट लगाकर मार देने से हुई थी। आगे इस साक्षी ने व्यक्त किया है कि उसने मृतिका पूजा की सास से पूछा था कि यह सब कैसे हुआ तो उन्होंने बताया था कि पूजा को हॉर्ट अटैक आया है। मृतिका के पिता बाबूलाल रजक (अ.सा. 2) ने व्यक्त किया है कि उसकी पुत्री मृतिका पूजा की तबीयत खराब होने की सूचना मिलने पर वह, उसकी पत्नी एवं लड़का बकस्वाहा अस्पताल गये थे जहां उसकी पुत्री पूजा मृत अवस्था में मिली थी, उसके मुंह व नाक से फसूका निकल रहा था। आगे इस साक्षी ने व्यक्त किया है कि उसकी लड़की पूजा को आरोपी ने मार डाला था और स्पष्ट किया है कि उसने पूजा के गले व पीठ में चोट के निशान देखे थे इसलिये वह यह कह रहा है कि पूजा को आरोपी ने मार डाला था।

32. इस क्रम में मृतिका के भाई राहुल उर्फ राकेश (अ.सा. 3) ने व्यक्त किया है कि उसकी बहन शादी के एक साल के अंदर खत्म हो गयी थी। जब उसकी बहन पूजा के ससुराल वालों ने फोन करके बताया था कि पूजा को उल्टियां हो रही थी तब वह बकस्वाहा अस्पताल गया था। बकस्वाहा अस्पताल में उसकी बहन पूजा पलंग पर मृत अवस्था में

Mn
3/3/25

Contd. -----17

(श्रीमती मीनल श्रीवास्तव)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश
जिला छतरपुर (म.प्र.)

लेटी हुई मिली थी। उसने अस्पताल में ही पूजा के गले व पीठ पर चोट के निशान देखे थे तथा उसके मुंह से फसूकर निकल रहा था। उसने, उसकी बहन की मृत्यु के बारे में आरोपी के माता पिता से पूछा तो उन लोगों ने कुछ नहीं बताया था।

33. नक्शा पंचायतनामा प्र.पी. 2 की कार्यवाही करने वाले तहसीलदार झाम सिंह (अ.सा. 5) ने भी अपनी परिसाक्ष्य में व्यक्त किया है कि उसने मृतिका की पीठ पर काला निशान देखा था जो दो–तीन दिन पुरानी चोट जैसा प्रतीत हो रहा था परंतु यहां यह उल्लेखनीय है कि मृतिका के उक्त परिजनों एवं तहसीलदार के उक्त कथनों की पुष्टि मृतिका का शव परीक्षण करने वाले चिकित्सीय विशेषज्ञ डॉ. ललित उपाध्याय (अ.सा. 4) के कथनों से नहीं हुई है। उक्त चिकित्सीय विशेषज्ञ ने अपनी परिसाक्ष्य में यह कथन किया है कि बाहरी परीक्षण में मृतिका के शरीर पर किसी भी प्रकार की कोई बाहरी चोट के निशान नहीं थे तथा आंतरिक परीक्षण में मृतिका को किसी तरह के अस्थि के संबंध की चोट नहीं थी। उक्त चिकित्सीय विशेषज्ञ से आरोपी की किसी प्रकार की हितबद्धता होना अथवा फरियादी पक्ष से किसी प्रकार की कोई रंजिश होना अभिलेख पर नहीं हैं इस कारण उक्त चिकित्सीय विशेषज्ञ डॉ. ललित उपाध्याय (अ.सा. 4) की साक्ष्य पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण न्यायालय के समक्ष नहीं हैं।

34. यहां यह भी महत्वपूर्ण है कि घटना के पश्चात मृतिका के परिजन मौके पर पहुंच गये थे जहां पुलिस के द्वारा नक्शा पंचायतनामा तैयार किया जाकर शव परीक्षण आदि की कार्यवाहियां की गई थी। उस समय भी मृतिका के उक्त परिजनों के द्वारा आरोपी के द्वारा दी गई प्रताड़ना के संबंध में पुलिस को नहीं बताया गया। इस संबंध में तहसीलदार झाम सिंह (अ.सा. 5) ने प्रतिपरीक्षण में व्यक्त किया है कि नक्शा पंचायतनामा प्र.पी. 2 की कार्यवाही के समय बाबूलाल एवं ममता मौजूद थे और यह भी स्वीकार किया है कि नक्शा पंचायतनामा प्र.पी. 2 के दस्तावेज में पंचों की राय लेते समय किसी व्यक्ति के द्वारा यह नही बताया गया था कि मृतिका की मृत्यु प्रताड़ना के कारण हुई है। मौके पर कार्यवाही करने वाले पुलिस अधिकारी उत्तमलाल अहिरवार (अ.सा. 9) ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि नक्शा पंचायतनामा प्र.पी. 2 में पंचों की राय में किसी भी व्यक्ति के द्वारा मृतिका के दुष्प्रेरण के संबंध में लेख नहीं किया गया है। मृतिका के परिजनों का उक्त आचरण स्वाभाविक न होकर आरोपी के द्वारा मृतिका पूजा को दहेज के लिये प्रताड़ित किये जाने के तथ्य के प्रति संदेह उत्पन्न करता है।

35. यहां यह भी ध्यान देने योग्य है कि हितबद्ध साक्षीगण/

3/3/25

Contd. -----18

(श्रीमती मीनल श्रीवास्तव)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश
बिजावर, जिला छतरपुर (म.प्र.)

मृतिका के उक्त तीनों परिजनों मां ममता रजक (अ.सा. 1), पिता बाबूलाल रजक (अ.सा. 2) तथा भाई (अ.सा. 3) किसी के भी द्वारा दहेज की मांग के संबंध में आरोपी के द्वारा मृतिका की मारपीट कर उसे शारीरिक रूप से प्रताड़ित किये जाने बावत् कथन नहीं किया गया है। उक्त तीनों साक्षीगण के द्वारा आरोपी को मृतिका की मारपीट करते हुये स्वयं देखे जाने बावत् भी कथन नहीं किये हैं। स्पष्टतः प्रलक्षित है कि मृत्यु के पूर्व आरोपी के द्वारा दहेज की मांग को लेकर मृतिका के साथ मारपीट की गई हो इस संबंध में अभिलेख पर कोई सारभूत साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं। इस संबंध में आरोपी की ओर से प्रस्तुत न्यायदृष्टांत **विश्वजीत हलदर एवं अन्य विरूद्ध पश्चिम बंगाल राज्य 2007(2) एम.पी. डब्ल्यूएन.** अवलोकनीय है।

36. जहां तक आरोपी के द्वारा की गई दहेज की मांग को लेकर मृतिका को मानसिक रूप से प्रताड़ित किये जाने का प्रश्न है वहां इस संबंध में मृतिका की मां ममता रजक (अ.सा. 1) ने अपने मुख्य परीक्षण में व्यक्त किया है कि उन्होंने मृतिका को शादी में कूलर, पंखा, टी.व्ही., गोदरेज, अलमारी आदि सामान एवं नगद पैसे दिये थे। प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि विवाह के समय कोई दान दहेज तय नहीं हुआ था उन्होंने राजीखुशी से विवाह के समय अपनी लड़की/मृतिका को सामान दिया था। विवाह में दान दहेज को लेकर कोई विवाद नहीं हुआ था। इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि विवाह के पश्चात उनकी लड़की/मृतिका करीब 8–10 दिन ससुराल में रूकी थी तद्ोपरांत जब उसे लेने गये थे तब उसके ससुराल वालों ने उसे राजीखुशी से भेज दिया था। शादी के बाद मृतिका करीब 5–6 बार राजीखुशी से मायके आयी थी।

37. इस क्रम में मृतिका के पिता बाबूलाल रजक (अ.सा. 2) ने अपने मुख्य परीक्षण में व्यक्त किया है कि मृतिका पूजा की शादी में उन्होंने मोटरसाईकिल के अतिरिक्त सभी सामान दिया था और प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उनकी लड़की मृतिका और आरोपी प्रेमनारायण उर्फ सोनू की शादी अच्छी तरह से राजीखुशी से हुई थी। उसने शादी में जो सामान दिया था वह अपनी मर्जी से दिया था, शादी में कोई दान दहेज तय नहीं हुआ था इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि मृतिका जितनी बार भी ससुराल से मायके आयी–गयी थी वह राजीखुशी से आयी–गयी थी। मृतिका के भाई राहुल उर्फ राकेश (अ.सा. 3) ने भी अपने मुख्य परीक्षण में व्यक्त किया है कि उसकी बहन मृतिका पूजा की शादी में उन लोगों ने पलंग सोफा–सेट पैसे आदि दिये थे।

3/3/25
(श्रीमती मीनल श्रीवास्तव)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश
जिला छतरपुर (म.प्र.)

Contd. -----19

38. उक्त तीनों ही साक्षीगण के कथनों से यही दर्शित होता है कि मृतिका की शादी के समय आरोपी की ओर से किसी प्रकार के दान–दहेज की कोई मांग नहीं की गई थी, मृतिका के मायके पक्ष के द्वारा अपनी इच्छा से मृतिका को शादी में सामान दिया गया था और शादी के उपरांत भी मृतिका का राजीखुशी से ही ससुराल एवं मायके में आना जाना रहा था।

39. मृतिका की मां ममता रजक (अ.सा. 1) ने अपने मुख्य परीक्षण में व्यक्त किया है कि जब उसकी पुत्री मायके आती थी तब वह बताती थी कि उसका पति, सास–ससुर एवं ननद उससे दहेज मांगते हैं और कहते है कि दहेज नहीं दिया तो बकस्वाहा के आगे नहीं जा पाओगी तुम्हें करंट लगाकर मार डालेगे परंतु यहां यह उल्लेखनीय है कि उक्त तथ्य का इस साक्षी के पुलिस कथन प्र.डी. 1 में सर्वथा लोप है।

40. मृतिका के पिता (अ.सा. 2) ने अपने मुख्य परीक्षण में व्यक्त किया है कि आरोपी उसकी लड़की/मृतिका से यह कहता था कि वह उसे मार डालेगा जिससे उसकी दूसरी शादी हो जायेगी और उसे दूसरी शादी से चार पहैया गाड़ी भी मिलेगी, आरोपी उसकी लड़की को अच्छे से नहीं रखता था। उसकी लड़की पूजा उक्त बाते अपनी मां से कहती थी और उसकी मां ने यह बाते उसे बताई थी परंतु उसने उक्त बातों को कभी गंभीरता से नहीं लिया। इस संबंध में भी यह उल्लेखनीय है कि उक्त तथ्यों का इस साक्षी के पुलिस कथन प्र.डी. 2 में सर्वथा लोप है।

41. मृतिका के भाई राहुल उर्फ राकेश (अ.सा. 3) ने व्यक्त किया है कि आरोपी उन लोगों से पैसे एवं मोटरसाईकिल की मांग करता था और कहता था कि यदि उक्त चीजे उसे नहीं मिली तो वह उसकी बहन/मृतिका पूजा को करंट लगाकर मार देगा। इस साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि उसकी बहन पूजा ने उक्त बाते संगीता को बताई थी और संगीता ने पूजा की मृत्यु के बाद यह बाते उसे बताई थी। अभियोजन कहानी के पूर्ण अनुरूप कथन नहीं किये जाने के कारण इस साक्षी को अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूंछे गये। सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने विद्वान अपर लोक अभियोजक के इस आशय के सुझाव को स्वीकार किया है कि आरोपी उसकी बहन पूजा से कहता था कि तुम्हारे उसके पिता ने शादी में कुछ नहीं दिया है, मायके से सोने की चैन लाकर दो जब तक सोने की चैन मायके से नही लाओगी मैं तुम्हारें घर नहीं जाउंगा। प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने यह व्यक्त किया है कि उसने अपने पुलिस कथन में पैसे मांगने की बात बता दी थी परंतु मोटरसाईकिल की बात नहीं बताई थी क्योंकि उस समय वह बहुत टेंशन में था परंतु यहां यह उल्लेखनीय है कि

3/3/25

Contd. -----20

(श्रीमती मीनल श्रीवास्तव)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश
बिजावर, जिला छतरपुर (म.प्र.)

मोटरसाईकिल एवं पैसे की मांग की जाने संबंधी तथ्यों का इस साक्षी के पुलिस कथन प्र.पी. 5 में सर्वथा लोप है।

42. मृतिका के उक्त तीनों परिजनों की साक्ष्य के समग्र परिशीलन से दर्शित है कि मृतिका की मां ममता रजक (अ.सा. 1) ने आरोपी, उसके माता–पिता एवं बहन के द्वारा मृतिका से दहेज की मांग की जाना बताया है परंतु दहेज में क्या मांग की जा रही थी यह विनिर्दिष्ट नहीं किया है जबकि मृतिका के पिता बाबूलाल रजक (अ.सा. 2) ने मात्र आरोपी के द्वारा मृतिका से चार पहेया वाहन की मांग की जाना बताया है और फिर आगे मृतिका और उन लोगों से सोने की चैन की मांग की जाना बताया है तथा मृतिका के भाई राहुल (अ.सा. 3) ने अपने मुख्य परीक्षण में आरोपी के द्वारा मोटरसाईकिल एवं पैसे की मांग की जाना बताया है और पक्षद्रोही घोषित किये जाने के उपरांत पूछे गये सूचक प्रश्न में यह स्वीकार किया है कि आरोपी ने उसकी बहन पूजा से मायके से सोने की चैन लाने की मांग की थी। स्पष्टतः प्रलक्षित है कि दहेज की विषय वस्तु के संबंध में उक्त तीनों ही साक्षीगण के द्वारा परस्पर विरोधाभासी एवं विसंगतिपूर्ण कथन किये गये हैं जिनकी पुष्टि उक्त साक्षीगण के पूर्व कथनों से भी नहीं हुई है।

43. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि मृतिका की मां पूजा रजक (अ.सा. 1) ने मृतिका की शादी के बाद उसका 4 बार मायके आना और उस दौरान उसे आरोपी एवं उसके परिजनों के द्वारा की जा रही दहेज की मांग के बारे में बताया जाना व्यक्त किया है। मृतिका के पिता बाबूलाल रजक (अ.सा. 2) ने अपने मुख्य परीक्षण में मृतिका के द्वारा उसकी मां को आरोपी के द्वारा की जा रही दहेज की मांग के बारे में बताया जाना और उसकी मां के द्वारा उक्त बात उसे बताई जाना बताया है और मुख्यपरीक्षण में ही आगे यह व्यक्त किया है कि आरोपी पूजा से तथा उन लोगों से सोने की चैन मांगता था परंतु प्रतिपरीक्षण की कंडिका 12 में यह स्वीकार किया है कि आरोपी ने कभी भी उससे सोने की चैन और गाड़ी के संबंध में कोई मांग नहीं की थी। इस क्रम में मृतिका के भाई राहुल उर्फ राकेश (अ.सा. 3) ने अपने मुख्य परीक्षण में मृतिका पूजा के द्वारा संगीता को आरोपी द्वारा की जा रही दहेज की मांग के बारे में बताया जाना और संगीता के द्वारा पूजा की मृत्यु के पश्चात उसे उक्त तथ्य बताया जाना व्यक्त किया है परंतु प्रतिपरीक्षण में यह व्यक्त किया है कि आरोपी उसकी बहन पूजा से सोने की चैन की मांग करता था यह बात उसे उसकी बहन मृतिका पूजा ने बताई थी। उक्त साक्षीगण के कथनों के समग्र परिशीलन से दर्शित है कि आरोपी के द्वारा कथित दहेज की मांग कब, कहां और किससे की गई इस बारे में भी उक्त

3/3/25

Contd. -----21

(श्रीमती मीनल श्रीवास्तव)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश
बिजावर, जिला छतरपुर (म.प्र.)

साक्षीगण के कथनों में परस्पर विरोधाभास एवं विसंगतियां विद्यमान हैं।

44. यहां यह भी ध्यान देने योग्य है कि अभियोजन द्वारा परीक्षित किसी भी साक्षी ने आरोपी के द्वारा दहेज मांगने की किसी विनिर्दिष्ट घटना का उल्लेख अपनी परिसाक्ष्य में नहीं किया है। स्पष्टतः प्रलक्षित है कि आरोपी के द्वारा मृतिका की मृत्यु के कुछ पूर्व दहेज की किसी मांग के लिये या उसके संबंध में मृतिका को मानसिक रूप से प्रताड़ित किये जाने के संबंध में भी अभिलेख पर कोई सारभूत साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं। इस संबंध में आरोपी की ओर से प्रस्तुत न्यायदृष्टांत **<u>जीवन सिंह विरूद्ध म.प्र. राज्य 2012(II) एम.पी.डब्ल्यू.एन.</u>** अवलोकनीय है।

45. इस क्रम में यह भी महत्वपूर्ण है कि यदि आरोपी के द्वारा मृतिका से दहेज की मांग की जा रही थी और मृतिका के द्वारा इस बारे में अपने मायके वालों को बताया भी गया था तो फिर उनके द्वारा इस संबंध में मृतिका के ससुराल पक्ष के लोगों, अन्य किसी सगे संबंधियों पंचायत अथवा पुलिस से शिकायत क्यों नहीं की गई इसका भी कोई स्पष्टीकरण अभिलेख पर नहीं है वरन मृतिका के पिता (अ.सा. 3) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 12 में यह यह स्वीकार किया है कि उनके द्वारा इस संबंध में थाने में कोई रिपोर्ट नहीं की थी।

46. आरोपी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क एवं बचाव यह रहा है कि मृतिका के मायके वालों के द्वारा उससे तेंदूपत्ता तुड़वाने का कार्य कराया जाता था, जो कि मृतिका नहीं करना चाहती थी इसी विवाद के कारण मृत्यु के कुछ समय पूर्व मृतिका अपने मायके से अपने पति/आरोपी के साथ ससुराल चली गई थी और मायके वालों की प्रताड़ना के कारण ही उसने स्वयं जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी, आरोपी के द्वारा मृतिका के साथ कोई घटना कारित नहीं की गई है।

47. यद्यपि मायके पक्ष से विवाद बावत् आरोपी के विद्वान अधिवक्ता के सुझावों से उक्त तीनों ही हितबद्ध साक्षीगण के द्वारा स्पष्ट इंकार किया गया है परंतु यह स्वीकार किया गया है कि मृत्यु के पूर्व जब अंतिम बार जब मृतिका अपने मायके आयी थी उस समय उसकी लड़की/मृतिका अपने मायके के घर से ससुराल नहीं गई थी वरन वह बस स्टैंड हीरापुर गई थी और बस स्टैंड से ही आरोपी मृतिका को अपने घर ले गया था। यह सहज विश्वसनीय नहीं है कि यदि मृतिका को आरोपी के द्वारा दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जा रहा था और यह बात मृतिका ने अपने माता पिता को बताई थी तब उसके माता पिता इस बारे में आरोपी से कोई बात किये बिना अपनी लड़की को

3/3/25

(श्रीमती मीनल श्रीवास्तव)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश
जिला छतरपुर (म.प्र.)

Contd. -----22

उसके साथ भेज दे।

48. इस संबंध में मृतिका की मां ममता रजक (अ.सा. 1) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 10 में यह स्वीकार भी किया है कि जिस दिन मृतिका पूजा ससुराल गयी थी उस दिन उसकी पूजा से मोबाईल पर बात हुई थी और पूजा ने बताया था कि वह अपनी ससुराल पहुंच गयी है। वास्तव में मृतिका का स्वयं अपने मायके से बस स्टैंड तक जाना और बस स्टैंड से अपने पति/आरोपी के साथ ससुराल जाना मृतिका के आरोपी से अच्छे संबंधों को ही दर्शित करता है। इस बिंदु पर आरोपी की ओर से प्रस्तुत न्यायदृष्टांत **इंद्रजीत सुरेशप्रसाद बिंद एवं अन्य विरूद्ध गुजरात राज्य (2013) 14 एससीसी 678** अवलोकनीय है।

49. प्रकरण में एक अन्य उल्लेखनीय तथ्य यह भी है कि मर्ग जांच के दौरान किसी स्वतंत्र साक्षीगण के कथन नहीं लिये गये हैं। इस संबंध में मर्ग जांचकर्ता राजाराम साहू (अ.सा. 6) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 7 में यह स्वीकार भी किया है कि उसने ग्राम वीरमपुरा जाकर कोई जांच नहीं की थी। इस क्रम में यह भी ध्यान देने योग्य है कि सभी हितबद्ध साक्षीगण के द्वारा अपनी परिसाक्ष्य में यह स्वीकार किया गया है मृतिका पूजा की फुफेरी बहन कृष्णा ग्राम वीरमपुरा में ही रहती है जिसके माध्यम से ही मृतिका एवं आरोपी की शादी तय हुई थी। ऐसी दशा में पूजा की कथित दहेज मृत्यु के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य कृष्णा की हो सकती थी। कृष्णा के कथन मर्ग जांच के दौरान लिये जाना मर्ग जांचकर्ता राजाराम साहू (अ.सा. 6) ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है परंतु कंडिका 5 में यह भी स्वीकार किया है कि वह अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं कर रही थी इस कारण उसके मर्ग जांच के कथन अभियोगपत्र के साथ संलग्न नहीं किये गये हैं। उक्त सम्पूर्ण विवेचित परिस्थितियां घटना की सत्यता पर युक्तियुक्त संदेह उत्पन्न करते हुये आरोपी को प्रकरण में मिथ्या आलिप्त किये जाने संबंधी बचाव को बल प्रदान करती है।

50. उक्त सभी तथ्य एवं परिस्थितियां अभियोजन कहानी की सत्यता पर गंभीर संदेह उत्पन्न करती है और आपराधिक विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि संदेह का लाभ आरोपी को ही दिया जाना चाहिये। इस संबंध में न्यायदृष्टांत **स्टेट ऑफ गुजरात विरूद्ध जयराजभाई पुंजाभाई, बारू (2014)14 एस.सी.सी. 151** अवलोकनीय है जिसमें इस आशय का अभिमत प्रतिपादित किया गया है कि "The burden of proof in criminal law is beyond all reasonable doubt. The prosecution has to prove the guilt of the

3/3/25
(श्रीमती मीनल श्रीवास्तव)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश
, जिला छतरपुर (म.प्र.)

Contd. -----23

accused beyond all reasonable doubt and it is also the rule of justices in criminal law that if two views are possible on the evidence adduced in the case one pointing to the guilt of the accused and the other towards his innocence, the View Which in favourable to the accused should be adopted.''

51. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य की उक्त समग्र विवेचना एवं विश्लेषण से दर्शित है कि **आरोपी के द्वारा मृतिका पूजा को दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने के संबंध में अभियोजन का मामला संदेहास्पद पाया गया है और आरोपी के विरूद्ध उद्भूत धारा 113—बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की उपधारणा का पूर्ण खंडन हुआ है।** फलस्वरूप आरोपी के द्वारा घटना के सुसंगत समय, स्थान एवं दिनांक पर मृतिका के पति होते हुये उससे दहेज में सोने की चैन की मांग कर उसे मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना और उक्त प्रताड़ना के कारण मृतिका के द्वारा विवाह से 7 वर्ष के भीतर आत्महत्या कर लेने के कारण उसकी दहेज मृत्यु कारित की जाना प्रमाणित नहीं पाया जाता है। इस संबंध में आरोपी की ओर से प्रस्तुत न्यायदृष्टांत **उत्तराखंड राज्य विरूद्ध संजय राम टम्टा उर्फ संजू उर्फ प्रेम प्रकाश 2025 आई.एन.एस.सी. 187** अवलोकनीय है।

52. स्पष्ट है कि अभियोजन आरोपी के विरूद्ध अपना मामला युक्तियुक्त रूप से संदेह से परे प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल रहा है परिणामस्वरूप संदेह का लाभ देते हुये आरोपी को भा.दं.सं. की धारा 498—ए, धारा 304—बी एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

53. आरोपी के द्वारा दंप्रसं. की धारा 437—ए/बी.एन.एस.एस. की धारा 481 के अधीन प्रस्तुत मुचलके को छोड़कर शेष जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

54. प्रकरण में जप्तशुदा शादी का कार्ड प्रदर्शित होकर अभिलेख का भाग है जिसे प्रकरण के विनिष्टीकरण के पूर्व नष्ट नहीं किया जावे। प्रकरण में शेष जप्तशुदा सम्पत्ति सादा मिट्टी, उल्टीयुक्त मिट्टी एवं मृतिका के विसरा आदि मूल्यहीन एवं अनुपयोगी होने से अपील अवधि पश्चात्, अपील न होने पर नष्ट किये जावे। अपील होने की दशा में जप्तशुदा सम्पत्तियों का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जावे।

55. आरोपी की अभिरक्षा अवधि के संबंध में दंप्रसं. की धारा

3/3/25

(श्रीमती मीनल श्रीवास्तव)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश
छतरपुर, जिला छतरपुर (म.प्र.)

Contd. -----24

428 / बी.एन.एस.एस. की धारा 468 का प्रमाण पत्र तैयार किया जाकर अभिलेख के साथ संलग्न किया जावे।

56. निर्णय की एक प्रति दंप्रसं. की धारा 365 / बी.एन.एस.एस. की धारा 406 के अनुपालन में जिला दण्डाधिकारी छतरपुर को सूचनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित कर घोषित किया गया। 3/3/25 **(श्रीमती मीनल श्रीवास्तव)** द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश बिजावर जिला छतरपुर (म.प्र.)	मेरे बोलने पर टंकित । 3/3/25 **(श्रीमती मीनल श्रीवास्तव)** द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश बिजावर जिला छतरपुर (म.प्र.)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सत्यमेव जयते बिजावर, जिला छतरपुर (म.प्र.)